



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,  
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप-3), सचिवालय, जयपुर

(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre\_rdd@yahoo.com)



क्रमांक एफ 5(21)ग्रावि/नरेगा/जनरल/2021-22 / 1030

जयपुर, दिनांक

18.4.2023

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,  
समस्त राजस्थान।

विषय :- प्रशासन गांवों के संग अभियान के संबंध में।

संदर्भ:- राजस्व (ग्रुप-1) विभाग पत्र क्रमांक प012(9) राज.-1/2023 दिनांक 12.04.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिये दिनांक 24/04/2023 से 30/06/2023 तक प्रशासन गांवों के संग अभियान का आयोजन किया जाना है। अभियान के संबंध में विभाग द्वारा निस्तारित किए जाने वाले आम जनता से जुड़े कार्यों की सूची एवं प्रपत्र संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त सूची अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत किए जाने वाले कार्यों की प्रगति अपडेट किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे, ताकि अभियान के दौरान निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्यों की शत प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(दिनेश कुमार जाँगिड़)

अतिरिक्त आयुक्त(प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

(दिनेश कुमार जाँगिड़)

अतिरिक्त आयुक्त(प्रथम), ईजीएस

# महात्मा गांधी नरेगा

1. रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या।
2. नवीन जॉबकार्ड जारी करना एवं अद्यतन (updation) करना।
3. लाईन विभाग (PWD, Forest & Water Resource) अपने विभाग की राशि का महात्मा गांधी योजना से कन्वर्जेन्स कर कार्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
4. योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों के मोबाईल नंबर प्राप्त कर नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टि करना।
5. योजनान्तर्गत नरेगा सॉफ्ट में यदि किसी श्रमिक के आधार नम्बर की प्रविष्टि नहीं है तो उसकी प्रविष्टि करना एवं ABPS कन्वर्जन हेतु आधार नम्बर का लिंकेज बैंक खाते से करवाना।
6. योजनान्तर्गत समस्त कार्यों की जीओ टैगिंग करना।
7. कार्य पत्रावली मय समस्त दस्तावेज तैयार करना।
8. कार्यस्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड लगाना।
9. 7 रजिस्ट्रों एवं मेट रजिस्टर का संधारण।

